

29/6/18

1.5 वा. 2.3 वा. 3.4 वा. 4 वा. 5 वा. 6 वा. 7 वा. 8 वा. 9 वा. 10 वा. 11 वा. 12 वा. 13 वा. 14 वा. 15 वा. 16 वा. 17 वा. 18 वा. 19 वा. 20 वा. 21 वा. 22 वा. 23 वा. 24 वा. 25 वा. 26 वा. 27 वा. 28 वा. 29 वा. 30 वा. 31 वा. 32 वा. 33 वा. 34 वा. 35 वा. 36 वा. 37 वा. 38 वा. 39 वा. 40 वा. 41 वा. 42 वा. 43 वा. 44 वा. 45 वा. 46 वा. 47 वा. 48 वा. 49 वा. 50 वा. 51 वा. 52 वा. 53 वा. 54 वा. 55 वा. 56 वा. 57 वा. 58 वा. 59 वा. 60 वा. 61 वा. 62 वा. 63 वा. 64 वा. 65 वा. 66 वा. 67 वा. 68 वा. 69 वा. 70 वा. 71 वा. 72 वा. 73 वा. 74 वा. 75 वा. 76 वा. 77 वा. 78 वा. 79 वा. 80 वा. 81 वा. 82 वा. 83 वा. 84 वा. 85 वा. 86 वा. 87 वा. 88 वा. 89 वा. 90 वा. 91 वा. 92 वा. 93 वा. 94 वा. 95 वा. 96 वा. 97 वा. 98 वा. 99 वा. 100 वा.

दिनांक 29/6/18
 विभाग
 -

सहायक कलेक्टर
 (पीनवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धारन, B.A.S.

प्रकरण संख्या 616 / 2018
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उपान

श्री के. आर. धारन

निवासी शाहपुरा
बनाम

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

श्री के. आर. धारन

निवासी शाहपुरा

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री के. आर. धारन
होम सचिव, 8/19

निर्णय

दिनांक 28/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2115/4

1650/2010-77 & 9087/2010-135

कुल किता 2 रकबा 0.50 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम 2115/4 संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा 2115/4 में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 0.50 हैक्टर की पुरझा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200 रूपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 28/6/18

के. आर. धारन
सहायक जज

प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. धारन
सहायक जज